

आदेश

उम्रो शासन, राजस्व अनुग्रह-11 के शासनादेश संख्या 195/एक -11-2020-रा०-11 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 संपर्कित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की घरा-2 की उपचारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को “आपदा” प्रोक्ति किया गया है।

गृह मञ्जलग मारता सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-(A) दिनांक 01.05.2020 कोपिड महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी सौंकड़ाउन को अधिग्र 02 साप्ताह तक प्रभावी बनाये जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 381/2020/सीएस-3 गृह (गोपन)अनुभाग-3 दिनांक 03.05.2020 द्वारा प्रख्यापित निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस परियोग्य में यह भी रपाए गिया जाता है कि कन्टेन्मेन्ट जॉन के अन्वार्गत उपरोक्त शासनादेश में अनुमन्य कियाकलापों यथा-आपश्यक चर्तुओं की आपूर्ति, विकल्पकीय रोगिओं की अनुमन्यता ही मान्य होगी। उक्त कन्टेन्मेन्ट जॉन की परिधि के बाहर उपरोक्त शासनादेश में अनुमन्य कियाकलापों के सम्बन्ध में निम्नवत्त व्यवस्था लागू किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाते हैं -

- जनपद में अनुमन्य औद्योगिक इकाईयों के सचालन की अनुमति से पूर्व कन्टेनर जोन की स्थिति का परीक्षण करते हुए सम्बन्धित इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा ऑनलाईन/पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित/अनुमोदन तत्काल दिया जायेगा।
 - जनपद में इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा प्रमाणित/अनुमोदित ऐसी अनुमन्य औद्योगिक इकाईयों के सचालन की अनुमति अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा/येटर नोएडा/यीडा), आरएम०-य०पी०एस०आई०डी०सी०, उपायुक्त (उद्योग), गौतमबुद्धनगर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल जारी की जायेगी।
 - Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units(EOUs), के अन्तर्गत कार्यरत अनुमन्य औद्योगिक इकाईयों के सचालन की अनुमति सम्बन्धित विकास आयुक्त, भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से तत्काल प्रदान की जायेगी।
 - इन औद्योगिक इकाईयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को आने-जाने हेतु किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्गत आई०कार्ड ही उनका पास होगा। जिन इकाईयों में ५० से अधिक कर्मचारी/अधिकारी कार्य करें, उनका आवागमन Pooling Transport के तहत किया जायेगा एवं वाहनों की सूची सम्बन्धित १०सी०पी० को ई-मेल के माध्यम से भेजी जायेगी।
 - जनपद में निर्माण कार्य हेतु अपने-अपने क्षेत्र में नियमानुसार अनुमति सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा/येटर नोएडा/यीडा) द्वारा प्रदान की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यरत मजदूर निर्माणाधीन स्थल पर ही रहेंगे और जनपद में अन्य स्थानों पर उनके आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
 - जनपद में निजी कार्यालय ३३ प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं और उन्हें किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त आवश्यक सावधानियों बरतनी होगी।
 - जनपद समस्त सरकारी कार्यालय गृह भन्त्रालय एवं उ०प्र०शासन की गाईडलाइन के अनुसार खोले जायेंगे और कार्यालय द्वारा जारी आई कार्ड ही उनका पास होगा, उन्हें अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
 - शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगे। यद्यपि आवश्यक घरतुओं की विक्री से सम्बन्धित दुकानों को मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में खुलने की अनुमति होगी।
 - समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलीनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर के अन्दर जी दुकानों को खुलने की अनुमति होगी।
 - अन्तर्राज्यीय (Between the State) एवं अन्तर्जनपदीय (Between the District) आवागमन पूर्व की भाँति प्रतिवर्षित रहेगा।
 - सभी सकान प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-१९ के निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन हो।

उक्त आदेश सत्याल प्रभाव से लागू होगा।

(सुहास एलप्हाई०)
जिला मजिस्ट्रेट
गीतमधुक्कनगर।